616

संख्या– 204/VI-2/2014–22(5)2013

प्रेषक,

डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2 देहरादून दिनांक 30 मार्च, 2014

विषय :–एस0पी0ए0 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज देहरादून में प्रस्तावित बहुद्देशीय हॉल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1098 / एस0पी0ए0पत्रा0 / 2013–14 दिनांक 22 फरवरी, 2014 तथा शासनादेश संख्या–186 / VI–2 / 2013–22(5) / 2013 दिनांक 29 मार्च, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष आयोजनागत सहायता (एसपीए) के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज देहरादून में प्रस्तावित बहुद्देशीय हॉल के निर्माण हेतु परीक्षणोपरान्त संस्तुत कुल लागत ₹1517.69 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹732.60 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹785.09 लाख) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि ₹1.00 करोड़ (एक करोड़) मात्र के उपरान्त अवशेष बची धनराशि ₹1417.69 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में ₹1054.38 लाख (₹दस करोड़ चव्वन लाख अड़तीस हजार) मात्र की धनराशि के संगत लेखाशीर्षक से आहरित करते हुए जिलाधिकारी, देहरादून के पी0एल0ए0 खाते में वित्तीय वर्ष 2013–14 में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जमा करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– प्रस्तावित सभी कार्यों को एक प्राजेक्ट के रूप में करते हुये दिनांक 22–3–2013 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक के कम में जारी कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रत्येक दशा में 24 महीने के भीतर पूर्ण की जायेगी। किसी भी स्थिति में पुनः पुनरीक्षित आगणन तथा नये कार्यों को प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। आगामी स्वीकृति मांगे जाने के समय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवश्य अवगत कराया जाय।

–2–

2– कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक–15.12.2008, शासनादेश संख्या–414/XXVII(7)/2007, दिनांक–23.10.2008 एवं शासनादेश संख्या–594/XXVII(7)/2010 दिनांक–09.06.2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

3– पी0एल0ए0 से धनराशि के आहरण हेतु राज्य के वित्तीय संसाधन एवं वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिकोण से धनराशि फेज मैनर में वित्त विभाग की सहमति से आहरित कर व्यय की जायेगी, इस कार्य हेतु अनुबन्ध सम्बन्धित एजेन्सी/कार्यदायी संस्था से कराया जायेगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दूसरी किश्त जारी की जायेगी।

4– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

7– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

8– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9–. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

10– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों से इतर कार्यों/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण

कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

12– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्तापरीक्षण के सम्बन्ध में नियोजन विभाग से समन्वय का तद्नुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।

13– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–18–विशेष आयोजनागत सहायता (SPA)–24 वृहत निर्माण कार्य** मानक मद के **आयोजनागत पक्ष** के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–418(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनांक 29 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं

भवदीय

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–204/VI-2/2014–22 (5) 2013 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. महा प्रबंधक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम देहरादून।
7. प्रधानाचार्य, महाराणा स्पोर्टस कालेज, देहरादून।
8. एन0आई0सी0 देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।